कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 19/04/22

क्रं./जन स्वा.वि./2022/55

प्रति,

1.जोन आयुक्त,
2.प्र.जोन स्वास्थ्य अधिकारी,
जोन क्रं. .....
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय :– निगम क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग (डेंगू/मलेरिया) के बचाव/रोकथाम हेतु किए जाने वाले आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्य विषयक।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित हो कि निगम क्षेत्रान्तर्गत विगत वर्ष 2021 में जोन क्रं. 1 में 10, जोन क्रं. 2 में 10, जोन क्रं. 03 में 06, जोन क्रं. 4 में 06 एवं जोन क्रं. 5 में 12 कुल 44 मरीज सकारात्मक डेंगू से प्रभावित होकर विभिन्न अस्पतालों में उपचारार्थ भर्ती हुए थे, जिसमें 18 मरीज दूसरे प्रदेश/जिले/शहर से प्रभावित होकर आए थे, जोनवार/वार्डवार प्रभावित हुए मरीजों की सूची संलग्न है।

लेख है कि आगामी वर्षाकाल में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग (डेंगू/मलेरिया) का संक्रमण–काल जुलाई से दिसम्बर तक रहता है। वर्षा काल के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए निगम क्षेत्र में विगत वर्षो की भांति (डेंगू/मलेरिया) का संक्रमण न हो सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व से ही निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक कार्य तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश दिये जाते हैं :–

1. जोन के सभी वार्डो में विगत वर्षो की भांति मच्छर लार्वा नियंत्रण हेतु पानी मिश्रित टेमीफास का घोल 31 मई 2022 तक अनिवार्यतः शत्–प्रतिशत घरों में वितरित कर दिया जाएं। डेंगू प्रभावित वार्ड/मोहल्ले में प्रथम प्राथमिकता के तौर पर टेमीफास वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। वितरित किये गये किटनाशक औषधि का उपयोग किस प्रकार किया जाना है, उपयोग विधि भी परिवार के सदस्यों को वितरण के दौरान बताया जाए। कृपया टेमीफांस का उपयोग नाली या गंदे पानी वाले गड्ढों में न किया जाए। प्रत्येक घरों में पानी मिश्रित टेमीफांस घोल का वितरण करते हुए मकानों में वितरण तिथि का उल्लेख एवं पजी संधारण भी किया जाए।
2. विगत वर्षो में डेंगू प्रभावित वार्ड/क्षेत्रों में मच्छर उत्पत्ति स्थल एवं स्रोतों का सर्वेलेंस निरीक्षण एवं उनको खाली कराना उपयोगकर्ताओं को साप्ताह में एक दिन रविवार को सफाई करते रहने या फिर अनुपयोगी होने की स्थिति में खाली कर सुखाने की समझाईस दिया जाए। यह मच्छर लार्वा उत्पत्ति स्थल/स्रोत :– कूलर, टंकी, टायर, टुटे–फुटे बर्तन, ड्रम, पशुओं के खाने–पीने के पात्र (नांद) इत्यादि का निरीक्षण कर खाली कराने का कार्य किया जाए। वार्ड/मोहल्ले के सभी घरों में प्रत्येक रविवार के दिन शुष्क दिवस के रुप में मनाने हेतु प्रेरित किया जाए।
3. जोन/वार्ड में टायर/पंचर दुकानें, कबाड़ियों एवं अन्य गहरे आकार के बर्तनों, टुटे–फुटे प्लास्टिक बर्तनों, लोहे के सामानों के उचित रख–रखाव एवं व्यवस्थापन हेतु हिदायतदी जाए तथा तात्कालिक रुप से नियम बनाकर टायर दुकानों की आदतें को सुधारने औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

.....2

4. आपके प्रभार वार्ड/ क्षेत्र में डेंगू मलेरिया से प्रभावित होकर किसी के उपचारार्थ भर्ती होने की सूचना प्राप्त होने पर डेंगू प्रभावित क्षेत्रो में स्थिति सामान्य होने तक जोन स्तर से टीम बनाकर मच्छर लार्वा उत्पत्ति स्थलों की सफाई एवं खाली करने का नियम बनाकर अपील किया जाए, चेतावनी पत्र दिया जाए, तत्पश्चात् भी निर्देशों/नियमों का पालन नहीं किए जाने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जाए।
5. डेंगू पॉजीटिव (आर.डी. टेस्ट अथवा ELISA जांच) पाये जाने पर रोगी के घर के आसपास लगभग 100–150 घरों में मच्छर लार्वा के स्रोत नियंत्रण गतिविधि स्वास्थ्य कार्यकर्ता/मितानीन प्रेरक/मितानीन/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं अन्य वालंटियर द्वारा किया जाए। स्रोत नियंत्रण गतिविधि के दोरान पानी संग्रहित पात्र/बर्तन जैसे :– कूलर, टंकी, गमला, फ्रीज, अनुपयोगी बर्तन, नारियल खोल, टायर एवं अन्य में मच्छर लार्वा पनपने के स्रोत को नष्ट किया जाए।
6. डेंगू प्रभावित मरीज के निवास स्थान के लगभग 300 मीटर की परिधि में आने वाले सभी घरों में व्यस्क मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक मैलाथियांन का छिड़काव लगातार सात दिन तक किया जाए, प्रभावित मोहल्लों में व्यवस्क मच्छरों के विनिष्टिकरण हेतु सतत् प्रयासरत रहें।
7. प्रभावित वार्ड/मोहल्लों में लगातार तीन दिन तक सभी जोन में विद्यमान हैण्ड सेट फागींग मशीन प्राप्त कर कम से कम 5 नग फागींग मशीन से प्रातः 5:00 से 7:00 बजे एवं सायं 6:00 से 8:00 बजे के मध्य प्रभावित मरीज के घर एवं 100 मीटर की परिधि में आने वाले सभी घरों में धुऐं का छिड़काव किया जाए।
8. प्रत्येक जोन में वार्ड पर्यवेक्षक अपने प्रभार के वार्ड में पदस्थ ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, आरोग्य समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीम वर्क के रुप में घर–घर जन जागरुकता हेतु स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाए एवं पाम्पलेट का वितरण किया जाए।
9. जन समुदाय में डेंगू नियंत्रण हेतु माइकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार गतिविधियां किया जाए।

उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय वेक्टर जनित (डेंगू/मलेरिया) के रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए किए गए कार्यो का पालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें। दिए गए निर्देशों के पालन नहीं होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्रं./ जन स्वा.वि./2022/56 भिलाई, दिनांक 19/04/22

प्रतिलिपि :–

1. महापौर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर दुर्ग, जिला दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अध्यक्ष, (सभापति) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. प्रभारी सदस्य खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

.....3

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय दुर्ग को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. जिला मलेरिया अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ।
7. उप महाप्रबंधक, नगर सेवाएं विभाग,भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई को सूचनार्थ।
8. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. उपायुक्त I, II नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. लेखाधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
11. शहरी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र सुपेला भिलाई को सूचनार्थ।
12. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग भिलाई –3 को सूचनार्थ।
13. शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, नगर पालिक निगम भिलाई परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
14. शहरी समन्वयक, मितानीन, भिलाई परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
15. कार्यपालन अभियंता (स्वास्थ्य) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
16. प्रभारी अधिकारी, वाहन शाखा, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
17. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक, निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
18. श्री के.के. सिंह, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
19. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
20. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई